

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2814(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 881 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2001, जिसे दिनांक 14 सितम्बर, 2001 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई तथा करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा:-

- (क) निर्देश देता है कि एतश्मिन संलग्न अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कालम 3 में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थान पर है उक्त अनुसूची के कालम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूक्षेत्र में तथा उक्त अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों के सभी मामलों के संबंध में उक्त अनुसूची के कालम (6) में विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का निर्वहन करेंगे।
- (ख) इस अधिसूचना में संदर्भित आयकर आयुक्तों को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वे अपने अधीनस्थ अपर आयकर आयुक्तों या संयुक्त आयकर आयुक्तों को लिखित में आदेश जारी करके शक्ति प्रदान कर सकते हैं कि वे उक्त अनुसूची के कालम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूक्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों या आय या आय की श्रेणियों या मामलों या मामलों की श्रेणियों के बारे में अपर आयकर आयुक्त या संयुक्त आयकर आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग और उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं।
- (ग) उक्त अधिसूचना के उपवाक्य (ख) में संदर्भित अपर आयकर आयुक्तों या संयुक्त आयकर आयुक्तों को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वे लिखित आदेश जारी करके अपने अधीनस्थ आकलन अधिकारी को उक्त ऐसे क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों या आय या आय की श्रेणियों या मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में अधिसूचना के उपवाक्य (ख) के अन्तर्गत प्राधिकृत अपर आयकर आयुक्तों या संयुक्त आयकर आयुक्तों की शक्तियों का प्रयोग और उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं।

अनुसूची

क्र. सं.	आयकर अधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	भौगोलिक क्षेत्र	व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी	शक्तियां एवं कार्य
1	2	3	4	5	6
1.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1, दिल्ली	दिल्ली	(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र (ii) राजस्थान राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	1. कालम (4) के (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' से शुरू होता है और उसमें अंक, विशेष कैरेक्टर/ संकेत हों (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो भारत में प्राप्त होता हो या जो (i) माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194छ, धारा 194छक की उप-धारा 2, 194छग, 194छघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.),

				माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख्य स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ङ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है। 2. कालम (4) के (ii) में (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो भारत में प्राप्त होता हो या जो (i) माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख्य स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी	194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां
--	--	--	--	--	--

				अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	
2.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-2, दिल्ली	दिल्ली	(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र (ii) हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ की भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	1. कालम (4) के (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' से शुरू होता है और उसमें अंक, विशेष कैरेक्टर/ संकेत हो (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख्य स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में है और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उप-धारा 2, धारा 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.), 194ठख, धारा 194ठखक की उप-धारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां।

				2. कालम (4) के (ii) में (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख्य स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ङ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	
3.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, दिल्ली	दिल्ली	(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र (ii) उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	1. कालम (4) के (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'क्यू' या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होता है और उसमें अंक, विशेष कैरेक्टर/संकेत हो (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194छ, धारा 194छक की उप-धारा 2 धारा 194छग, 194छघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ङ.), 2(ख), 2(ग), 2(घ), और 2(ङ.) में

			संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ङ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है। 2. कालम (4) के (ii) में (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो	उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.), 194ठख, धारा 194ठख की उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां
--	--	--	---	---

				व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	
4.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्य तथा अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र की भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' से शुरू होता है और उसमें अंक, विशेष कैरेक्टर/संकेत हो (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194छ 194छक की उपधारा (2), 194ठग, 194छघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.), 194छख, 194छक की उपधारा (2), 194ठग, 94छघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां

				उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	
5.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1, मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई महानगर पालिका तथा नवी मुम्बई महानगर पालिका के भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे और रायगढ़ के भीतर आने वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए' या 'बी' से शुरू होता है और उसमें अंक, विशेष कैरेक्टर/ संकेत हो (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194छ, धारा 194छक की उपधारा 2, 194छग, 194छघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.), 194छ, धारा 194छक की उपधारा 2, धारा 194छग, 94छघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां
6.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय	मुम्बई	वृहत मुम्बई महानगर	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के

	कराधान)-2, मुम्बई		पालिका तथा नवी मुम्बई महानगर पालिका के भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे और रायगढ़ के भीतर आने वाले क्षेत्र	जिनका नाम 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' से शुरू होता है (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ङ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ङ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ङ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.), 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अर्न्तगत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां
7.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3, मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई महानगर पालिका तथा नवी मुम्बई महानगर पालिका के भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे और रायगढ़ के भीतर आने वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' से शुरू होता है। (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख),

				संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ङ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	1(ग), 1(घ), 1(ङ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ङ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ङ.), 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां
8.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-4, मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई महानगर पालिका तथा नवी मुम्बई महानगर पालिका के भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे और रायगढ़ के भीतर आने वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होता है और उसमें अंक, विशेष कैरेक्टर/ संकेत हो (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ङ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ङ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ङ.), 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख,

				पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हों और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (ङ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां
9.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य निर्धारण), अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा संघ शासित प्रदेश, दमन तथा दीव तथा दादर एवं नागर हवेली के भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हों और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194छ, धारा 194छक की उपधारा 2, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ङ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ङ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.), 194छ, धारा 194छक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 94ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां

				उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	
10.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य निर्धारण), पुणे	पुणे	महाराष्ट्र राज्य में रायगड तथा थाणे जिले तथा नवी मुम्बई महा नगर पालिका की भौगोलिक क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य के अतिरिक्त अन्य के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194छ, धारा 194छक की उपधारा 2, 194छग, 194छघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.), 194छ, धारा 194छक की उपधारा 2, धारा 194छग, 194छघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां
11.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक, केरल, गोवा राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश लक्षदीप के	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए व्यक्ति (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194छ, धारा 194छक की

			माहे जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हो और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	उपधारा 2, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.), 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, धारा 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां।
12.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), चैन्नै	चैन्नै	तमिलनाडु राज्य तथा पाडिचेरी के जिले एवं संघ शासित प्रदेश कारिकल के भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (1) भारत में प्राप्त होता हो या जो (ii) माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा 2, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम,

				पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हों और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ङ.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	1961 की धारा 194(ड.), 194छ, धारा 194छक की उपधारा 2, धारा 194छग, 94छघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां।
13.	आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य निर्धारण), हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य एवं यनम संघ शासित प्रदेश के जिलों के भू-सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र	कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (23क) के दृष्टिगत अनिवासी व्यक्ति जिसमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं और जिनका दोहरे कराधान परिहार्य करार के तहत लागू शर्तों के अनुसार स्थायी कारोबार हो या जिनका व्यापारिक संबंध हो या जिनके पास आय का ऐसा स्रोत हो जो (i) भारत में प्राप्त होता हो या जो माना जाता हो कि वह भारत में प्राप्त होता है (ii) कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में भारत में अर्जित या उद्भूत हो या अर्जित या उद्भूत माना जाता हो। (ख) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय से पृथक अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हों और कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। (ग) कम्पनियों से पृथक व्यक्ति जो व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित कर रहे हों और जिनके व्यापार या व्यवसाय का मुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता है। (घ) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी के रूप में हैं और इनका व्यापार	(क) कालम (5) के मद 1(क) और 2(क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194छ, धारा 194छक की उपधारा 2, 194छग, 194छघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के कार्य और शक्तियों समेत सभी कार्य और शक्तियां। (ख) कालम (5) के मद 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ङ.), 2(ख) 2(ग), 2(घ), और 2(ङ.) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों और विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194(ड.), 194छ, धारा 194छक की उपधारा 2, धारा 194छग, 94छघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य और शक्तियां।

				का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में आता हो। (ड.) अन्य कोई व्यक्ति जो कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय-XVII-ख के अन्तर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	
--	--	--	--	--	--

यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 57/2014/फा.सं.187/29/2014-आयकर नि. I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक